

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

10/05/2023

संख्या - 03/भू0अ0नि0(3)-विविध(वि0सर्व0अमीन)-23/2022/1204 पटना, दिनांक:-
आदेश

निदेशालय ज्ञापांक 10170 दिनांक 06.07.2020 द्वारा श्री सिद्ध सूर्य, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00359), बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय को नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की जांच/सत्यापन के क्रम में संज्ञान में आया है कि निदेशालय स्तर पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या - 01/2019 के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर मानदेय आधारित संविदा नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित है, जबकि श्री सूर्य का शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न है, अर्थात् Diploma in Civil Engineering योग्यता के स्थान पर B.Tech in Civil Engineering है, जो कि नियोजन हेतु निर्धारित नियम एवं मापदण्ड के विपरित है।

उपरोक्त भिन्नता के बावजूद श्री सूर्य के कॉउन्सिलिंग के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन/पुष्टि किये जाने के फलस्वरूप कॉउन्सिलिंग टीम में सम्मिलित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भूमिका की गहन जांच प्रक्रियाधीन है।

संविदा नियोजित उपरोक्त कर्मी से प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न योग्यता के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग इस कार्यालय के पत्रांक 2512 दिनांक 17.09.2022 द्वारा 03 दिनों के अन्दर की गयी है।

निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित संविदा कर्मी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह तथ्य अंकित किया गया है कि विज्ञापन संख्या - 01/2019 में विशेष सर्वेक्षण अमीन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, परन्तु विज्ञापन में उच्चतम योग्यता एवं अहर्ता का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही अंकित किया गया है कि इनके द्वारा गलत प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि विज्ञापन संख्या - 01/2019 में विशेष सर्वेक्षण अमीन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में नियोजन हेतु मैट्रीक का 10 प्रतिशत एवं डिप्लोमा का 90 प्रतिशत वेटेज दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विज्ञापन में B.Tech in Civil Engineering प्रमाण पत्र को वेटेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा है एवं श्री सूर्य डिप्लोमाधारी नहीं हैं, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में दिए गए तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता से भिन्न शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र रहने के कारण संविदा नियोजन हेतु निर्धारित Term of Assignment की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री सिद्ध सूर्य, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00359) का नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)-विविध(वि0सर्वे0अमीन)-23/2022⁴²⁰⁴ पटना, दिनांक :- 10/05/2023
प्रतिलिपि :- श्री सिद्ध सूर्य, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN00359), बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)-विविध(वि0सर्वे0अमीन)-23/2022⁴²⁰⁴ पटना, दिनांक :- 10/05/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)-विविध(वि0सर्वे0अमीन)-23/2022⁴²⁰⁴ पटना, दिनांक :- 10/05/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण